

समान नागरिकी संहति पर बहस (Debate on Uniform Civil Code)

संदर्भ

हल ही में वधिआयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि भौजूदा वक्त में समान नागरिकी संहति यानी Uniform Civil Code न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग का मानना है कि समान नागरिकी संहति समस्या का हल नहीं है बल्कि, सभी नजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहतिबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें।

परमुख मुद्दा

- गौरतलब है कि हल के वर्षों में समान नागरिकी संहति पर सियासी और समाजी दोनों ही माहौल गर्म रहा है।
- एक ओर जहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिकी संहति को लागू करने की पूरजोर मांग उठाती रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका वरीध करता रहा है।
- इसी के मद्देनजर जहाँ इस मुद्दे पर हर चुनावी साल में राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देने की रवियत चल पड़ी है।
- इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को समान अधिकार मलिन रोगस्तितान में नखलस्तितान से कम नहीं होगा लेकिन, इस संहति को लागू करने में कदम-कदम पर आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।
- एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय नागरिकी संहति को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडाबरदार समान नागरिकी संहति की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं।
- लहिाजा, सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रतहमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए? क्या एक एकीकृत राष्ट्र को 'समानता' की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही न करें?
- दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं तो, कानून में भी एकरुपता से आपत्तकियों? क्या एक संवधान वाले इस देश में लोगों के नजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए?
- सवाल है कि अगर अब तक समान नागरिकी संहति को लागू करने की कोशिशि संजीदगी से नहीं हुई है तो, इसके पीछे अल्पसंख्यकों की चिंता तो नहीं है? या फरि यह यकीन कर लिया जाए कि हमारे सियासतदां भी समझते हैं कि धर्म और कानून के घालमेल से इस बहुल संस्कृति वाले देश में बेहतर संदेश नहीं जाएगा? ऐसे में वक्त का तकाजा है कि देश की जनता को इन सवालों के जवाब मलि।

समान नागरिकी संहति क्या है?

- सबसे पहले आपको बता दें कि संवधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकी संहति की चर्चा की गई है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकी संहति प्राप्त कराने का प्रयास करेगा'।
- समान नागरिकी संहति में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जातिका क्यो न हो।
- समान नागरिकी संहति में शादी, तलाक तथा जमीन-जायदाद के बँटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नयिम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नयिम हदुिओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग हैं।
- इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने परसनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना परसनल लॉ है जबकि हदुि सविलि लॉ के तहत हदुि, सखि, जैन और बौद्ध आते हैं।

वधिआयोग द्वारा कही बातें -

- वधिआयोग ने जहाँ 2016 में समान नागरिकी संहति से जुड़े कुछ सवाल लोगों से पूछे थे, वहीं पछिले वर्ष देश के कुछ प्रतष्ठिति नागरिकों द्वारा वधिआयोग को एक मसौदा भी सौपा गया था।
- इसमें इस बात की चर्चा थी कि नजी मामलों से जुड़े मुद्दों पर बनाए जाने वाले नयिम ऐसे हों जो वैश्विक रूप से स्वीकृत हों और मानवाधिकारों का उल्लंघन न करते हों।
- लहिाजा, वधिआयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जरूरी नहीं कि एक एकीकृत राष्ट्र को समानता की आवश्यकता हो बल्कि, हमें मानवाधिकारों पर नरिविवाद तर्कों के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।
- आयोग का मानना है कि नजी कानूनों में फर्क किसी भेदभाव की नहीं बल्कि, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।
- धर्मनरिपेक्षता शब्द का अर्थ केवल तभी चरतिारथ होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभवियक्ति को आश्वस्त करता है। आयोग ने साफ कहा है कि धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों ही विविधता को बहुमत के शोरगुल में कम नहीं किया जा सकता है।
- आयोग ने सुझाव दिया है कि समान नागरिकी संहति को लागू करने के बजाय सभी नजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहतिबद्ध करने की जरूरत है।

- कानूनों को संहिताबद्ध करने पर व्यक्ति कुछ हद तक दुनिया के उन सदिधांतों तक पहुँच सकता है जो समान संहिता की बजाय समानता को लागू करने को प्राथमिकता देता है।
- लैंगिक समानता के मद्देनजर आयोग ने सुझाव दिया है कि लड़कों एवं लड़कियों की शादी के लिए 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप तय किया जाए ताकि वे बराबरी की उम्र में शादी कर सकें।

समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क

- संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है। लेकिन, जितनी बार मांग उठी है उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। समान नागरिक संहिता के हमियती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं।
- अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और नजिता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है।
- लेकिन, महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे तीन तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, शादी-विवाह की हो या महिलाओं की आजादी को लेकर हो, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
- इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है बल्कि, सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है, ये सारी प्रणालियाँ संविधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। लहिजा, समान नागरिक संहिता के झंडाबरदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं।
- दूसरी तरफ, अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिये, सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खलिवाड़ करने जैसा होगा।
- मुस्लिमों के मुताबिक उनके नजि कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित हैं इसलिये समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए।
- मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगम्बर मोहम्मद साहब की शक्तिओं पर आधारित है।
- लहिजा, यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 6 दशक पहले उन्हें मली धार्मिक आजादी धीरे-धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि यह रसाकशी कई दशकों से चल रही है।

समान नागरिक संहिता लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ

- दरअसल, समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरजोर मांग उठने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई मौके ऐसे आए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर नाखुशी जताई है।
- 1985 में शाह बानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टपिणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जबकि पिछले वर्ष ही तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी इस मुद्दे को हवा मली।
- लेकिन, सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी है? दरअसल, भारत का एक बहुल संस्कृतिवाला देश होना इस रास्ते में बड़ी चुनौती है।
- हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक Contract माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं।
- लहिजा, व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण नजि मामलों में एक समान राय बनाना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल है।
- दूसरी समस्या है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानती है।
- जाहिर है, एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। तीसरी समस्या यह है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले भी लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा।
- इसके लिये कोर्ट को नजि मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा।
- सरिफ शरिया कानून, 1937 ही नहीं बल्कि, Hindu Marriage Act, 1955, Christian Marriage Act, 1872, Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 में भी सुधार की आवश्यकता है।
- मुश्किल सरिफ इतनी भर नहीं है। मुश्किल यह भी है कि देश के अलग-अलग हिस्से में एक ही मजहब के लोगों के रीति-रिवाज अलग-अलग हैं।
- मौजूदा वक्त में गोवा अकेला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है, इसके लिए काफी प्रयास किए गए होंगे। इसलिये यह कहना गलक नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो, इसे लागू करना मुमकनि हो सकता है।
- दूसरी ओर वोटबैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने की एक बड़ी वजह है।
- एक दल जहाँ समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता रहा है, वहीं दूसरी पार्टियाँ इसे अल्पसंख्यकों के खलिफ सरकार की राजनीति बताती रही हैं।
- जाहिर है, एक दल को अगर वोटबैंक के खसिक जाने का डर है तो, दूसरे को वोटबैंक में संध लगाने की फकिर है। दरअसल, सियासी दलों का यह डर पुराना है।
- जब 1948 में हनिदू कोड बलि संविधान सभा में लाया गया, तब देश भर में इस बलि का जबरदस्त विरोध हुआ था। बलि को हनिदू संस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था।
- सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता।

आगे की राह

- दरअसल, भारतीय संविधान भारत में वधिके शासन की स्थापना की वकालत करता है। ऐसे में आपराधिक मामलों में जब सभी समुदाय के लिए एक कानून का पालन होता है, तब सविलि मामलों में अलग कानून पर सवाल उठना लाजमी है।
- समझना होगा कि नजिी कानूनों में सुधार के अभाव में न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है और न ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मलि पा रहा है।
- दरअसल, सबसे बड़ी आजादी तो उन मुसलमि महिलाओं को मलि सकेगी जो बहुवविह और हलाला जैसी प्रथाओं का वरिोध करती रहीं हैं।
- इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा बल्कि, समाज-सुधार जैसी पहलें भी कामयाब हो सकेंगी।
- समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो, देश के सथिसी दल वोट बैंक वाली सथिसत भी नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़का कर वोट मांगने की रवियत पर भी लगाम लग सकेगा।
- लेकनि, दूसरी तरफ वधिआयोग की सलाह और अल्पसंख्यकों की चति पर भी हमें गौर करना होगा। जब संविधान में जकिर होने के बावजूद वधिआयोग जैसी संस्था समान नागरिकि संहति को जरूरी नहीं मानती है तो, यकीनन इसमें देश की वविधिता को महफूज करने की नीयत होगी। आयोग ने अगर समान नागरिकि संहति लाने से पहले नजिी कानूनों में सुधार की बात कही है तो, यकीनन आयोग चाहता है कि कड़ी दर कड़ी कानून बना कर सुधार की ओर बढ़ा जाए।
- समझना होगा कि मुसलमिों के परसनल लॉ का 1400 साल पुराना होने का अर्थ है- आस्था का लंबा इतहिस होना। जाहरि है, इसे एक झटके में समान नागरिकि संहति लागू कर खतम नहीं किया जा सकता। अमूमन भारत के सभी नजिी कानून आस्था पर आधारति हैं और उनमें सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक तबदीली की आवाज धरम वशिष के अंदर से नहीं आ जाती है।
- हमें समझना होगा कि अगर राजा राममोहन राय सती प्रथा के खलिफ आवाज उठा सके और उसका उन्मूलन करने में कामयाब हो सके तो, सरिफ इसलिये कि उन्हें अपने धरम के भीतर की कुरीतयिों की फकिर थी।
- लहिाजा, धरम के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से न केवल नजिी कानूनों में बल्कि रहन-सहन से लेकर खान-पान तक में वविधिता देखी जाती है और यही इस देश की खूबसूरती भी है। ऐसे में जरूरी है कि देश को समान कानून में परिीने की पहल अधिकितम सरवसम्मती की राह अपना कर की जाए। ऐसी कोशशिों से बचने की जरूरत है जो समाज को धरुवीकरण की राह पर ले जाएँ और सामाजिक सौहारदर के लिए चुनौती पैदा कर दें।

[ऑडियो आर्टकिल के लिए क्लिक करे.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/Debate-on-Uniform-Civil-Code>

